5 = 13 = 00

(1062)

नकल आदेश दिनांक 02-07-22 न्यायालय उपजिलाधिकारी कुण्डा-प्रतापगढ़

शाहिदा परवीन आदि बनाम सरकार आदि

अन्तर्गत धारा-80 उ०प्र०रा०सं० 2006 ग्राम-शेखपुर आशिक परगना बिहार तह० कुण्डा जनपद-प्रतापगढ़।

नकल आदेश दिनांक 02-07-22 की प्रमाणित छायाप्रति साथ में संलग्न है।

एस०डी०एम० 04/07/22

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,जनपद :प्रतापगढ,तहसील :कुण्डा
वाद संख्या :-3342/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202202570103342
शाहिदा परवीन आदि बनाम उ०प्र० राज्य दवारा जिलाधिकारी आदि
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादीगण शाहिदा परवीन पत्नी महबूब अली, मो0 जावेद, इनाम अहमद, जुबैर अहमद, इकबाल अहमद सुतगण महबूब अली नि0 ग्राम–शेखपुर आशिक, परगना–बिहार, तहसील–कुण्डा, जनपद–प्रतापगढ़ के प्रार्थना पत्र जो आर0सी0 'प्रपत्र 25 पर प्रस्तुत किया गया है, के आधार पर धारा–80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि ग्राम–शेखपुर आशिक, परगना–बिहार, तहसील–कुण्डा की वर्तमान खतौनी गाटा सं0 735/0.307हे0, 736क/ 0.436हे0, 736ख/0.423हे0 कुल 3 किता/1.166हे0 में से 1.018हे0 बैनामाशुदा भूमि है। उक्त भूमि में वादीगण द्वारा बाउण्ड्रीवाल बनाया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, अभिलेख में वादीगण का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है, उक्त भूमि में 1.018हे0 भूमि को वादीगण द्वारा अकृषिक/व्यवसायिक/आवासीय दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

वाद दर्ज कर पक्षों को नोटिस जारी की गयी। जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। तहसील से जाँच आख्या मंगाई गयी। राजस्व लेखपाल की आख्या दिनांक 30.06.2022 राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 30.06.2022 व तहसीलदार कुण्डा की आख्या दिनांक 01.07.2022 शामिल पत्रावली है। जिसमें कहा गया है कि भूमि स्थित ग्राम–शेखपुर आशिक, परगना–बिहार, तहसील–कुण्डा की वर्तमान खतौनी गाटा सं0 735/0.307हे0, 736क/ 0.436हे0, 736ख/0.423हे0 कुल 3 किता/1.166हे0 में से 1.018हे0 बैनामाशुदा भूमि है। उक्त भूमि में वादीगण द्वारा बाउण्ड्रीवाल बनाया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसके स्थल का फोटोग्राफ भी संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार की संलग्न आख्या से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि को अकृषिक/व्यवसायिक घोषित किये जाने से सार्वजनिक न्यूसेंस होने की सम्भावना नहीं है या सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है तथा प्रश्नगत भूमि हाइवे/किसी प्रयोजन में प्रभावित नहीं है। अभिलेखों तथा तहसीलदार की

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,जनपद :प्रतापगढ,तहसील :कुण्डा
वाद संख्या :-3342/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202202570103342
शाहिदा परवीन आदि बनाम उ॰प्र॰ राज्य दवारा जिलाधिकारी आदि
अतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

संलग्न आख्या से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि ग्रामसभा की सामान्य अथवा सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है। (धारा 77 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 से आच्छादित नहीं है।) कुल भूमि 1.018हे0 भूमि का मूल्यांकन जिलाधिकारी के सर्किल रेट के आधार पर 4988200/– होता है, जिसका 2% उद्घोषणा शुल्क रू0 99760/– जो सरकारी कोष में चालान सं0 5301/01/G200007 दिनांक 02.07.2022 को जमा किया गया तथा 1% न्याय शुल्क रू0 49880/– होता है जो सरकारी कोष में चालान सं0 5301/01/G200006 दिनांक 02.07.2022 को जमा किया गया तथा स्थलीय निरीक्षण शुल्क 1000/– रू0 जो सरकारी कोष में चालान सं0 5301/01/G200008 दिनांक 02.07.2022 को जमा किया गया। जिसकी जमा रसीद संलग्न पत्रावली है तथा घोषणा पत्र हेतु 20/– रू0 का स्टाम्प पेपर जिस पर 5/– का न्यायालय शुल्क अदा किया गया, जो संलग्न पत्रावली है। नोटिस तामीला के उपरान्त पर्याप्त समय बीत जाने के बाद भी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी, वाद निर्विवाद है।

वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम–शेखपुर आशिक, परगना–बिहार, तहसील–कुण्डा की वर्तमान खतौनी गाटा सं0 735/0.307हे0, 736क/0.436हे0, 736ख/0.423हे0 कुल 3 किता/1.166हे0 में से 1.018हे0 बैनामाशुदा भूमि है। उक्त भूमि में वादीगण द्वारा बाउण्ड्रीवाल बनाया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है जिसे अकृषिक/व्यवसायिक/आवासीय घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः वादीगण शाहिदा परवीन पत्नी महबूब अली व मो0 जावेद, इनाम अहमद, जुबैर अहमद, इकबाल अहमद सुतगण महबूब अली नि0 ग्राम–शेखपुर आशिक, परगना–बिहार, तहसील–कुण्डा, जनपद–प्रतापगढ की भूमि स्थित ग्राम–शेखपुर आशिक, परगना–बिहार, तहसील–कुण्डा, जनपद–प्रतापगढ़ की वर्तमान खतौनी गाटा सं0 735/0.307हे0, 736क/

04/07/2022

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपज़िलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,ज़नपद :प्रतापगढ,तहसील :कुण्डा
वाद सख्या :-3342/2022
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202202570103342
शाहिदा परवीन आदि बनाम उ०प्र० राज्य दवारा जिलाधिकारी आदि
अतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

0.436हे0, 736ख/0.423हे0 कुल 3 किता/1.166हे0 में से 1.018हे0 भूमि पर वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए भू–राजस्व से मुक्त करते हुए अकृषिक/व्यवसायिक प्रख्यापित किया जाता है। तहसीलदार कुण्डा की प्रेषित आख्या एवं लेखपाल की अनुकृति आदेश का अंग होगा। पत्रावली में सत्यापित अभिलेखीय आख्या, शपथ पत्रों के असत्य/त्रुटिपूर्ण अथवा मिथ्या तथ्य संज्ञान में आने की स्थिति में यह आदेश उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 82 के तहत स्वतः निरस्त समझा जायेगा।. आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार कुण्डा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश का अनुपालन राजस्व अभिलेखों में कराकर आख्या 15 दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति उपनिबंधक कुण्डा, प्रतापगढ़ को अभिलेखों में अंकन कराने हेतु भेजी जाय। तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। अनुपालन कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

02/07/2022

(सतीश चन्द्र त्रिपाठी)
उप जिलाधिकारी,
कुण्डा–प्रतापगढ़

दिनांक :– 02/07/2022

नकल सवाल क्र० 1062
नकल प्रार्थना पत्र दि० 5-7-22
नकल तैयार दि० 5-7-22
नकल वितरण दि० 5-7-22
नकल धन राशि 13-00
नकल तैयार कर्ता के ह०

सत्य-प्रतिलिपि
... शोजत्या पेशकार 8/537
... कुण्डा-प्रतापगढ़ 05/07/22

पृष्ठ संख्या :